कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक :–प.32(बी)(1)आब/एल/2021–22/ 3599 दिनांक : 16.02.2022

देशी मदिरा, विदेशी मदिरा एवं बीयर की कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र हेतु ई–नीलामी आमंत्रण बाबत सूचना

1. वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए पडत/बेक आउट कम्पोजिट रिटेल ऑफ दुकानों के अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु भारत सरकार के उपक्रम **एम.एस.टी.सी.** लिमिटेड के माध्यम से **दिनांक 25 फरवरी, 2022** को ई–नीलामी आयोजित की गई है। इच्छुक बोलीदाता एम.एस.टी.सी. की साईट पर दिनांक **18.02.2022** को प्रातः 11.00 बजे से दिनांक **24.02.2022** रात्रि 11.59 पी.एम. तक आवेदन कर सकेगा। नीलामी दिनांक **25.02.2022** को प्रातः 11.00 बजे से साय 4.00 बजे तक रहेगी। नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहेगी तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
2. आवेदन शुल्क पूर्वानुसार "मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस" के अनुसार ही रहेगा।
3. **अमानत राशि–बेक आउट कम्पोजिट मदिरा दुकान** के लिए वर्ष 2021–22 की शेष अवधि हेतु निम्नलिखित प्रकार से अमानत राशि निर्धारित की जाती है तथा शेष दुकानो के लिए अमानत राशि पूर्ववत रहेगी।

श्रेणी (मूल न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान)	**अमानत राशि (रू.)**
50 लाख रूपये तक	2,00,000
50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक	3,00,000
2 करोड़ रूपये से अधिक	5,00,000

4. सफल बोलीदाता को **सम्पूर्ण धरोहर राशि**, निर्धारित **अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि"** एवं **"निर्धारित कम्पोजिट फीस** नियमानुसार जमा कराना होगी।
5. दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस व कम्पोजिट फीस विभागीय बेवसाईट पर दर्शित है। दर्शाई गई "न्यूनतम रिजर्व प्राईस" वार्षिक (12 माह के लिए) है। वास्तविक गारंटी राशि एवं वार्षिक कम्पोजिट फीस की गणना अनुज्ञापत्र हेतु जारी स्वीकृति की तिथि से आनुपातिक आधार पर की जायेगी।
6. अन्य शर्ते पूर्ववत रहेगी। उपर्युक्त के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश, शर्ते तथा अनुज्ञापन हेतु उपलब्ध दुकानों की निर्धारित सूची मय विवरण विभागीय वेबसाईट https://www.rajexcise.gov.in एवं एम.एस.टी.सी.लिमिटेड की वेबसाईट **https://www.mstcecommerce.com** पर उपलब्ध है।

आबकारी आयुक्त,
राजस्थान उदयपुर।

क्रमांक :—प.32(बी)(1)आब/एल/2021—22/ 3599 दिनांक : 16.02.2022

प्रतिलिपिः—

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति), आबकारी विभाग, उदयपुर ।
5. वित्तीय सलाहकार, आबकारी विभाग, राजस्थान।
6. ब्रांच मेनेजर, एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), आई.टी. अनुभाग, उदयपुर/ श्री नारायण सिंह बिष्ट, प्रोग्रामर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि पड़त/बेक आउट कम्पोजिट मदिरा दुकानों को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करें एवं एम.एस.टी.सी. को सूचित करे।
8. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन समस्त.........................।
9. जिला आबकारी अधिकारी समस्त..................................।

आबकारी आयुक्त
राजस्थान उदयपुर